

## Me Gazette of India

SHIBITUT EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1528]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934

No. 15281

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

गृह मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2012

का.आ. 1833(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपित एतदृद्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वे प्रशासक के रूप में आवी उपराज्यपाल के रूप में जाने जाते हों), राष्ट्रपित के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357क के अंतर्गत राज्य की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. यू-15039/64/2010-योजना/यू टी एल] के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2012

S.O. 1833(E).—In exercise of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of Union Territories (whether known as Administrator or Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under Section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) within their respective Union Territories.

[F. No. U-15039/64/2010-Plg/UTL]
K. K. PATHAK, Jt. Secy.